

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-MAIL 1. ayurvedajm@yahoo.co.in  
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in  
3. esttayurved2014@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 0145-2425047  
0145-2425835  
0145-2425993

क्रमांकप.1/प्रति7/अधि.से.नि-19/18/

दिनांक

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफडी/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुदेशों के तहत आयुर्वेद विभाग के निम्नांकित अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न बाद राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ सेवा संवर्ग

क्र. सं.	नाम मंत्रालयिक कार्मिक का	पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	सुरेन्द्र कुमार	बंशीधर स्वामी	कनिष्ठ सहायक	राज. यूनानी चिकि. फतेहपुर	सीकर	22/02/1959	28/02/2019
2	अमृतलाल भट्ट	चन्दूलाल	कनिष्ठ सहायक	राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय जोधपुर	जोधपुर	08/07/1959	31/07/2019
3	रमेश चन्द्र	साँवरे लाल	वरिष्ठ सहायक	उप निदेशक आयुर्वेद विभाग बॉसवाडा	बॉसवाडा	11/09/1959	30/09/2019
4	महेशचन्द्र शर्मा	जानकी लाल शर्मा	कनिष्ठ सहायक	उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर अ	जयपुर अ	21/10/1959	31/10/2019

नर्स-कम्पाउण्डर संवर्ग

क्र. सं.	नाम नर्स-कम्पा.	पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	धर्मीलाल भमात	बदजी भमात	कम्पा0	गोवर्धन विलास	उदयपुर	05/05/1959	31/05/2019
2	भानीराम स्वामी	ईश्वरदास स्वामी	वरि. कम्पा.	राज.प्राक. चिकि. हनुमानगढ टाउन	हनुमानगढ	15/06/1959	30/06/2019
3	सोमालाल कलासूआ	नानाजी	कम्पा0	टेकरी	उदयपुर	09/06/1959	30/06/2019
4	बृजमोहन शर्मा	रामसहाय शर्मा	कम्पा0	औषधालय कुनकटा कलॉ	सवाई माधोपुर	12/07/1959	31/07/2019

5	मोहनलाल सेवक	गोतमलाल सेवक	कम्पा0	डेचा	डूंगरपुर	10/12/1959	31/12/2019
---	-----------------	-----------------	--------	------	----------	------------	------------

**नोट :-**

उक्त सूची में मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ सेवा के कार्मिकों के क्रम सं. 01 से 04 तक तथा नर्स-कम्पाउण्डर सर्वर्ग की क्रम संख्या 01 से 05 तक अंकित कार्मिकों के विरुद्ध वर्तमान में :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटि की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त अराजपत्रित कार्मिकों के अतिरिक्त दिनांक 31.12.2019 तक सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों का नाम सूची में सम्मिलित होने से रह गया हो अथवा किसी का नाम, जन्म दिनांक गलत अंकन होने की स्थिति में अविलम्ब सूचित करें। आप द्वारा प्रेषित सेवानिवृत्ति सूचना का पुनः अवलोकन कर लेवे किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अथवा किसी कर्मचारी का नाम रह जाने पर आपका उत्तरदायित्व माना जावेगा।

  
(स्नेहलता पंवार)  
निदेशक

दिनांक 27-8-18

क्रमांकप.1/प्रति7/अधि.से.नि-18/17/13830

**प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान-जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
6. निजी सहायक अति.निदेशक आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
7. अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला, राजस्थान जयपुर अ/जयपुर ब/जोधपुर/उदयपुर/हनुमानगढ/डूंगरपुर/सवाई माधोपुर/सीकर/बोंसवाडा।
9. वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय हनुमानगढ टाउन।
10. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालय को जरिये ई-मेल करे।
11. शाखा प्रभारी जॉच/गोपनीय/प्रति.3/प्रति.4/प्रति.6 आयुर्वेद निदेशालय अजमेर।
12. सम्ब. कर्म. श्री/श्रीमती.....द्वारा संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी।
13. सामान्य-पत्रावली।

  
अति.निदेशक(आयु.)